

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक 10/8/15

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत किशनगंज में स्वीकृत 01 इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के केन्द्रांश की राशि ₹ 8.625 लाख (आठ लाख बासठ हजार पाँच सौ) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा किशनगंज में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रति इकाई 23.00 लाख रुपये की दर से प्रदान की गई है एवं 3/5(2)/2013-पी.पी., दिनांक 07.08.2014 के द्वारा स्वीकृत 01 इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि ₹ 8.625 लाख (आठ लाख बासठ हजार पाँच सौ) मात्र केन्द्रांश के रूप में स्तंभ 8 के अनुरूप व्यय की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाख रुपये में)

जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित राज्यांश की राशि	केन्द्रांश के प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
किशनगंज	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	23.00	23.00	17.25	5.75	8.625
	कुल	1		23.00	17.25	5.75	8.625

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय मुख्यशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051- निर्माण, मांग संख्या 30, उपशीर्ष 0207- अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- P 4250000510207, विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से केन्द्रांश मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार अकास्मिकता निधि से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार अकास्मिकता निधि से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी । जिसके लिये राशि प्राप्त होने पर आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा ।

4. उक्त राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में विपत्र तैयार कर की जाएगी। तत्पश्चात कार्यकारी एजेंसी प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता संख्या 244 में अन्तरित करेंगे। विपत्र के साथ तीन प्रतियों में बी0टी0सी0 फॉर्म-4 चालान संलग्न किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

6. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा।

7. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में किया जाना है एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जायेगा।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 10/8/15

ज्ञापांक :- 296

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 10/8/15

ज्ञापांक :- 296

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 10/8/15

ज्ञापांक :- 296

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 10/8/15

ज्ञापांक :- 296

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, किशनगंज / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

स्पीड पोस्ट

ज्ञापक :- 296

पटना, दिनांक 10/8/15

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापक :- 296

पटना, दिनांक 10/8/15

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- अवर सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के प्रधान सचिव

7/8/15